डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141] रायपुर, सोमवार , दिनांक 25 जून 2001—अषाढ़ 4, शक 1923

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2001

अधिसूचना

क्रमांक /एफ.ए.-3-1/2000/एक (1).—शासन कार्य (आवंटन) नियम के नियम-4 के अनुसरण में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, नीचे तालिका में बताये मंत्रियों को कॉलम-4 में उल्लेखित विभाग का प्रभार सौंपते हैं :—

स.क्र. (1)	मंत्री का नाम (2)	वर्तमान प्रभार (3)	नवीन प्रभार (4)
1.	श्री रविन्द्र चौबे	लोक निर्माण, आवास, नगरीय प्रशासन और विकास, संसदीय कार्य तथा विधि एवं विधायी कार्य.	लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण, नगरीय प्रशासन और विकास, संसदीय कार्य तथा विधि एवं विधायी कार्य.
2.	श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे	वन एवं पर्यावरण.	वन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

क्रमांक /एफ.ए.-3-1/2000/एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 जून 2001 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

Raipur, the 20th June 2001

NOTIFICATION

No. F.A. 3-1/2000/one (1)/GAD.—In pursuance of rule-4 of Business Allocation Rules the Governor of Chhattisgarh hereby allocates the Charge of department mentioned in table-4 below to the Ministers mentioned in column (2) :—

S. No. (1)	Name of Minister (2)	Present Charge (3)	New Charge (4)
1.	Shri Ravindra Choubey	Public Works, Housing, Urban Admn. & Development, Parliamentary afairs, Law & Legislative afairs.	Public Works. Housing and Environment, Urban Admn. & Development Parliamentary afairs, Law & Legislative afairs.
2.	Shri Derhu Prasad Dhritlahare.	Forest and Environment.	Forest.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ARUN KUMAR, Chief Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.



पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2001—आषाढ़ 8, शक 1923

वित्त विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2001

अधिसूचना

क्रमांक CSF/250/B-4/IV/2001.—**छत्तीसगढ़ राज्य के संचित शोधन निधि के गठन तथा क्रियान्वयन के लिए योजना.**

योजना का नाम

(1) योजना छत्तीसगढ़ शासन (इसके आगे 'शासन' के नाम से निर्दिष्ट) की 'संचित शोधन निधि योजना' के नाम जानी जाएगी (इसके आगे 'निधि' के नाम से निर्दिष्ट).

निधि का गठन

(2) छत्तीसगढ़ शासन के खुला बाजार ऋणों के मोचन के लिए एक संचित शोधन निधि का गठन किया जाएगा.

योजना का उद्देश्य

(3) संचित शोधन निधि का उपयोग एक परिशोधन निधि के रूप में वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले शासन के खुला बाजार ऋणों के मोचन के लिए किया जायेगा.

योजना के कार्यान्वयन का प्रारंभ

(4) यह वित्तीय वर्ष 2001-2002 से प्रभाव में लागू होगी.

व्याख्या :—

(अ) निधि में उपार्जित तथा संचित ब्याज का उपयोग केवल शासन के खुला बाजार ऋणों को छुड़ाने के लिए किया जायेगा, जैसा कि इसमें इसके आगे उपबंधित है.

(ब) निधि का उपयोग शासन के खुला बाजार ऋणों को छुड़ाने के अतिरिक्त और किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा.

निधि में योगदान

(5) शासन वित्तीय वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले गत वर्षों के अंत में अदेय खुला बाजार ऋणों के 1 से 3 प्रतिशत की साधारण सीमा पर अंशदान कर सकती है तथा अंशदानों को पिछले वर्ष के अदेय खुला बाजार ऋणों के 3 प्रतिशत की सीमा से अधिक भी बढ़ा सकती है. वर्ष में इस प्रकार के अंशदानों की राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है. यह शासन के किसी समय साधारण राजस्व से निधि में पूंजी निवेश या अन्य स्रोतों से, जैसे निधि के विनिवेश की कार्यवाही करना, जैसा की इसका विवेकाधिकार है, के लिए खुला है.

सामान्य राजस्वों के साथ निधि का संबंध

(6) आवर्ती अंशदानों के साथ-साथ निधि की उपार्जित आय से मिलकर बनने वाला निधि का मुख्य भाग शासन के सामान्य राजस्व के रूप में बाहर रखा जावेगा. निधि का उपयोग इस योजना में नियत रीति में किया जावेगा.

निधि का क्रियान्वयन

(7) निधि का क्रियान्वयन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर के केन्द्रीय लेखा अनुभाग द्वारा (इसके आगे 'बैंक' के नाम से निर्दिष्ट) समय-समय पर शासन से जारी किये गये दिशा/अनुदेशों के अधीन किया जावेगा.

निधि के मुख्य भाग का पूंजी निवेश

(8) निधि के जमा का पूंजी निवेश भारत सरकार के प्रतिभूतियों की उन परिपक्वताओं में किया जावेगा, जो राज्य सरकार समय-समय पर बैंक के परामर्श से निर्धारित करेगी.

व्याख्या :—

(अ) निधि के जमा में नियतकालिक अंशदान तथा इसके पूंजी निवेश से निधि की अर्जित आय सम्मिलित होगी.

(ब) बैंक इसके पूंजी निवेश कार्य विभाग से प्रतिभूतियां पूंजी निवेश के लिए उपलब्ध करवायेगा.

लेखा संचालन

(9) (अ) राज्य सरकार की सलाह के अनुरूप बैंक अपने पास ऋण के संग्रह के शासन के लेखे के संधारण की व्यवस्था करेगी.

(ब) निधि के अंशदानों का पूंजी निवेश रुपये 10,000 के गुणकों में, भारत सरकार की प्रतिभूतियों में किया जायेगा, जैसा कि अनुच्छेद-8 में निर्दिष्ट है.

(स) ब्याज आय के द्वारा निधि की आवर्ती जमा का पुन: पूंजी निवेश बैंक के द्वारा उसी प्रकार रुपये 10,000/- के गुणकों से किया जावेगा.

(द) निधि में धारित पूंजी निवेश तथा योजना के दौरान मुद्रा की परिपक्वताओं का पूंजीनिवेश अनुच्छेद-8 के अनुसार किया जावेगा.

(इ) 2006-2007 के पूर्व निधि से राशि आहरित नहीं करने दिया जायेगा.

व्याख्या :—

(अ) सरकार के निर्देशों के अनुसार शासन के आंतरिक ऋणों के मोचन के लिए वित्तीय वर्ष 2005-2006 तक निधि में उपार्जित तथा संचित पूंजी निवेश आय से आहरण स्वीकृत किया जा सकेगा.

(ब) निधि का मुख्य भाग बनाने वाले योगदानों का प्रभाव बचा रहेगा, जब तक कि पर्याप्त राशि निर्मित है.

(स) सरकार के नामे आवर्ती किस्तों का लेखा मुख्य शीर्ष 8222 (आरक्षित निधि) के अधीन लेखांकित किया जावेगा. ऋण की परिपक्वता पर अदेय शेष मुख्य शीर्ष 8222 (उपशीर्ष-निक्षेप निधि) के अधीन शीर्ष 8660 (विविध सरकार लेखे) खाता शेष समायोजन लेखे में जमा होगा.

(द) बैंक सरकार के नामे, सामान्य प्रकार के प्रासंगिक व्ययों को छोड़कर पूंजी निवेश के लेखे को सूचीबद्ध करेगा तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि के पूंजी निवेश के लेन-देनों का, अन्य लेन-देनों के साथ न मिल जाये, यह पृथक् सूची में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किये जायेंगे.

(इ) बैंक पूंजी निवेश पर ब्याज का संग्रह तथा इसे नियत दिनांक पर निधि के नाम जमा करने की व्यवस्था करेगी.

(फ) प्रतिभूतियों की परिपक्वताओं पर बैंक प्रतिभूतियों का मोचन तथा समयपूर्व विनिवेश की स्थिति में प्रतिभूतियों को अधिमत मूल्य पर बेचकर प्रासंगिक व्यय को छोड़कर विमुक्त राशि को निधि में जमा करने की व्यवस्था करेगी.

(ग) आवर्ती अंशदानों के लेखे के लिए व्यय का प्रबंध शासन के बजट में सुसंगत शीर्ष के अधीन किया जायेगा. निधि से व्यय की सीमा की वित्त व्यवस्था, निधि से पूंजी निवेशों के विक्रय द्वारा आहरित कर की जायेगी.

(ह) बैंक निधि के नाम से एक चालू खाता तथा सहायक सामान्य खाता लेखा खोलेगा तथा प्रत्येक वर्ष सितम्बर व मार्च के अंत में शासन को पूंजी निवेशों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगा.

निधि के क्रियान्वयन के लिए सेवा प्रभार

(10) शासन निधि के समस्त क्रय-विक्रय पर एक प्रतिशत का 1/8 प्रतिशत की दर से अथवा समय-समय पर परस्पर निर्णित दर से भारतीय रिजर्व बैंक को छूट अदा करेगा.

लेखे तथा अंकेक्षण

(11) निधि के लेखे तथा पूंजी निवेश राज्य के महालेखाकार द्वारा सामान्य क्रम में संधारित किये जायेंगे. बैंक सहायक लेखों को इसी प्रकार तथा विस्तृत, जैसा राज्य शासन द्वारा महालेखाकार के साथ परामर्श से विचार किया जाए, संधारित करेगा.

बचत

(12) योजना के सुगम क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार योजना के उपबंधों के संबंध में समय-समय पर अनुदेशों को जारी करेगी. योजना के किसी उपबंध के प्रचालन में किसी कठिनाई की स्थिति में शासन, यदि संतुष्ट हो, तो उपबंधों को शिथिल कर सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव.

FINANACE DEPARTMENT
Mantralaya, D. K. S. Bhawan, Raipur

Raipur, the 29th June 2001

NOTIFICATION

No. CSF/250/B-4/IV/2001.—**Scheme for Constitution and Administration of the Consolidated Sinking Fund of Government of Chhattisgarh.**

Title of the Scheme

(1) The Scheme shall be called "Consolidated Sinking Fund Scheme" (hereinafter referred to as "the Funds") of the Government of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the Government.)

Constitution of the Fund

(2) A "Consolidated Sinking Fund" will be constituted by the Government of Chhattisgarh for redeeming its open market loans.

Objective of the Scheme

(3) The Consolidated Sinking Fund is to be utilised as an Amortisation fund for redemption of the open market loans of Government commencing from the Financial year 2006-2007.

Commencement of The Operation of the Scheme

(4) It shall come into force with effect from the Financial year 2001-2002.

Explanation :—

(a) The interest accrued and accumulated in the Fund only will be utilised towards the redemption of the open market loans of the Government, as here-in-after provided.

(b) The Fund shall not be utilised for any purpose other than redemption of open market loans of the Government.

Contributions to the Fund

(5) The Government may contribute to the Fund on a modest scale of 1 to 3 per cent of the outstanding open market loans as at the end of the previous year beginning with the financial year 2001-2002 and increase the contributions to a level of 3 per cent or more of the outstanding open market loans of the immediately proceeding year. There is no ceiling on such contributions in a year. It is open tó the Government to invest in the Fund from the General revenue at any time or from other sources such as disinvestment proceed to the Fund, as its discretion.

Relationship of the Fund with General revenues

(6) The corpus of the Fund comprising the periodic contribution as well as the income accruing to the Fund shall be kept outside the General Revenues of the Governement. The Fund shall be utilised in the manner prescribed in this scheme.

Administration of the Fund

(7) The Fund shall be administered by Central Account Section of Reserve Bank of India at Nagpur. (hereinafter referred to as the Bank), subject to such directions/instructions as the Government may issue from time to time.

Investment of the corpus of the fund

(8) The accretions to the Fund shall be invested in Government of India Securities of such maturities as the State Government may determine from time to time in consultation with the Bank.

Explanation :—

(a) The accretions to the Fund shall include the periodic contributions and the income accruing to the Fund from investment thereof.

(b) The Bank will make available the securities for investment from its investment portfolio.

Account Transactions

(9) (a) The Bank would arrange to raise a debit to the account of the Government maintained with it as per the advice of the State Governments

(b) The contributions to the Fund shall be invested by the Bank in Government of India Securities as indicated in paragraph 8, in multiples of Rs. 10,000/-.

(c) The periodic accretion to the Fund by way of interest income shall be reinvested by the Bank in a similar manner, in multiples of Rs. 10,000/-.

(d) The investments held in the Fund and maturing during currency of the scheme shall be reinvested in accordance with paragraph 8.

(e) No withdrawals will be allowed from the Fund until 2006-2007.

Explanation :—

(a) The withdrawals may be allowed from out of the invest income accrued and accumulated in the Fund up to the financial year 2005-2006 towards the redemption of the internal debt of the Government as per its directions.

(b) The contributions forming the corpus of the Fund shall remain impact, until substantial amount is built up. A review thereof may be taken at an appropriate period from 2006-2007.

(c) The debit to Government on account of the periodic installments will be accounted undet the major head 8222 (Reserve Funds). On the maturity of the loan the balance outstanding under the head 8222 (sub-head Sinking Fund) is credited to the head 8660 (Miscellaneous Government Account) Ledger Balance Adjustment Account.

(d) The Bank will scroll to the Government debit on account of investment, less the incidental charges in the usual course. However, in order to ensure that the investment transactions of the Fund do not get mixed up with other transactions these will be indicated distinctly in separate scrolls.

(e) The Bank will arrange to collect interest on the investment and credit the same to the Fund on the due dates.

(f) On the maturity of the securities, the Bank will arrange to redeem the securities and in case of premature dis-investments, to sell the securities at the ruling price and credit the amount realised, less incidental charges to the Fund. As in the case of debit scrolls, the Bank shall use separate scrolls for the receipts.

(g) The provision for expenditure on account of the periodic contributions will be made in the Budget of the Government under the relevant head. The extent of expenditure to be financed from the Fund shall be with-drawn from the Fund by the disposal of the investment.

(h) The Bank will open a Current Account and Subsidiary General Ledger Account in the name of the Fund and furnish to the Government as at the end of September and March each year a statement showing the details of investments.

Service charges for administration of the Fund

(10) The Government will pay to RBI a commission at the rate of 1/8 per cent on the turn-over of the Fund or at the rate to be mutually decided from time to time.

Accounts and Audit

(11) The accounts of the Fund and the investment shall be maintained by the Accountant General of the State in the normal course. The Bank will maintain subsidiary accounts in such manner and detail as may be considered by the State Government in consultation with the Accountant General.

Savings

(12) The State Government shall issue instructions relating to the provisions of the Scheme as may be considered from time to time to enable smooth functioning of the Scheme. In case of any difficulty in the operation of any provision of the Scheme the Government may, if satisfied, may relax the provisions.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. MISRA, Additional Chief Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.